IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR.

T.S-66/2016

SMT. ABHA DEVI.........................PLAINTIFF.

VS

SRI MUKESH KUMAR THAKUR & OTHERS....................DEFENDANTS.

16.03.20 *उभयपक्षों की ओर से हाजिरी दी गई। वादी के आवेदन दिनांक–13.01.19 , अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।*

वादी का कथन है कि टंकक भूल एवं दृष्टि चूक वश वाद दाखिल करते समय कुछ दस्तावेज से संबंधित तथ्य वादपत्र में लाया जाना छुट गया है, जिसे संशोधन के दौरान वाद–पत्र में लाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादी के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। प्रस्तावित संशोधन में वादपत्र के मद संख्या–2,3 एवं 4 में कुछ खाता एवं खेसरा संख्या जोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त खाता एवं खेसरा (खाता सं0–26,खेसरा सं0–2642, 2643 एवं 3146) से संबंधित विक्रयविलेख दिनांक–02.03.16 पूर्व से अभिलेख पर है। प्रस्तावित औपचारिक प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी का संशोधन आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार वादपत्र में संशोधन करें।

दिनांक– 27.04.20 वास्ते सुनवाई एवं साक्ष्य।

अवर न्यायाधीश